न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 58 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 10.07.2024

जनमेज राणा पुत्र प्रभूलाल जाति ढोली निवासी पीली तलाई टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 —अपीलान्ट

बनाम

1—श्योजी पुत्र घासी जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
(नाम डिलिट दिनांक 01.04.2025)
2—कानजी पुत्र घासी जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
(नाम डिलिट दिनांक 01.04.2025)
3—कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
4—कन्हैयालाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 31.05.2024 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी जनमेज बनाम श्योजी आदि

उपस्थिति : (1) श्री औमप्रकाश राजोरा,अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री जितेन्द्र जैन,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4

निर्णय **दिनांक 08.05.2025**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 31.05.2024 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) को रेस्पो.का आराजी खसरा नंबर 105 / 3 पर वर्तमान मे कब्जा साबित नही होने के कारण खारिज किया गया है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर— 105 / 3 रकबा 2.0234 हेक्टेयर वाके ग्राम घांसडी मे स्थित है, जिस पर रेस्पोडेण्ट ने जानबूझकर जबरदस्ती अपीलांट की इच्छा के विपरित व बिना इजाजत के कब्जा कर रखा है। प्रकरण मे पूर्व मे न्यायालय तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 22.06.2022 को निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2024 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि निर्णय से पहले पुनः मौका रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2022

जिला कलेक्टर

को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे का उल्लेख किया है। उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार टोंक द्वारा पुनः पत्रावली दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 मे रेस्पो. का कब्जा साबित होना नही मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। रेस्पो. ने राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रखी है, जिनके द्वारा बार–बार न्यायालय को गुमराह करने की नियत से अपीलांट की खातेदारी की भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, जबकि वास्तविक मौका रिपोर्ट प्रकरण सं0–01/2024 मे प्रथम बार तैयार की गई मौका रिपोर्ट है, जिसके आधार पर रेस्पोडेण्ट्स को मौके से बेदखल करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा कई बार मौके पर गये बिना गलत व वास्तविकता के विपरित जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिन पर किसी भी प्रकार से विश्वास नही किया जा सकता है। रेस्पो.का मौके पर उक्त भूमि पर कब्जा है जो अवैध एंव अवैधानिक रूप से किया हुआ है। वादग्रस्त भूमि का भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डीजीपीएस मशीन से सीमाज्ञान कर कुल 23 बिन्दु कायम किये गये। उक्त रिपोर्ट मे कालूराम,टीकाराम,हनुमान व पृथ्वीराज का अतिक्रमण होना सुनिश्चित है। खसरा नम्बर 105/3 मे नाला ना होकर खसरा नम्बर 101 मे है। खसरा नम्बर 105/3 मे एनीकट बना हुआ है,जिसका निर्माण अपीलांट के पिता द्वारा करवाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 हेक्टेयर वाके ग्राम घांसडी पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश प्रदान करना न्यायोचित हैं।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस मे कथन किया कि आराजी ख. नं. 105/3 रकबा 2.0234 है. भूमि वाके ग्राम घासड़ी तहसील टोंक के सम्बंध में प्रथम बार तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 22.06.2022 को एकपक्षीय निर्णय किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमे माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2024 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि निर्णय से पहले पुनः मौका रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे का उल्लेख किया है। उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार टोंक द्वारा पुनः पत्रावली दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 मे रेस्पो. का कब्जा साबित होना नही मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। खसरा नम्बर 105/3 मे मौके पर सरकारी एनीकट, खाल तथा पानी के कूचे, बबूल, आंकडे, झाडिया आदि

जिला कलेक्टर
टोंक

है। खसरा नम्बर 105/4 रकबा 8 बीघा गोपी पुत्र कल्याण को दिनांक 10.12.1975 को आवंटन किया गया है। आवंटन 105/4 का है और गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक किया है। खसरा नम्बर 105/3 पर ग्राम पंचायत ने अपने खर्चे से एनिकट का निर्माण करवाया है तथा नाला पानी आवागमन के लिए बना है जो खसरा नम्बर 105/3 में से होकर निकलता है। अपीलांट जनमेज राणा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष दिनांक 08.03.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने प्रकरण संख्या 36/2024 दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 मे खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 है. वाके ग्राम घासडी पर आवेदक का कब्जा काश्त नही है। भूमि पर प्राकृतिक रूप से सर्पीलाकार रूपरूप मे खाल है तथा सरकारी एनिकट बना हुआ है। विवादित भूमि मे से बरसात के दिनो मे पानी बहता है। इस प्रकार उक्त भूमि पानी के बहाव क्षेत्र है। विवादित भूमि बहाव क्षेत्र मे होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है का उल्लेख करते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमि का भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डीजीपीएस मशीन से सीमाज्ञान कर कुल 23 बिन्दु कायम किये गये। उक्त रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 है. में से 0.0694 है. रकबे पर क्रमशः गेहॅू,सरसो,रजका आदि फसल मिली जो रेस्पो. की नही है। अन्य ग्रामवासी कालूराम,टीकाराम,हनुमान व पृथ्वीराज का अतिक्रमण होना सुनिश्चित है। मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 105/3 मे मेड नही है। उक्त कब्जा ख0नं0 105/3 से सटे हुए खसरा नम्बर 105/323, 106 व 110 के घुमावदार कोनो पर है। खसरा नम्बर 105/3 के समीप ही रेस्पो. ने अपनी 3 बीघा भूमि खाली छोड रखी है। रेस्पो. ने अपनी भूमि ही खाली छोड रखी है तो अपीलांट की भूमि पर क्यो अतिक्रमण करेगे। अतिवृष्टि होने पर सम्पूर्ण भूमि पानी के बहाव क्षेत्र मे होने से पानी में डूब जाती है। खतौनी बंदोबस्त सम्वंत 2021 में भी उक्त भूमि गै.मु. खाल के रूप में दर्ज है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक किया जाना न्यायसंगत है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी तहसील टोंक मे आराजी खसरा 105/3 रकबा 2.0234 भूमि हिस्सा 4/5 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 31.05.2024 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183(बी) को रेस्पो.का आराजी खसरा नंबर 105/3 पर वर्तमान मे कब्जा साबित नही होने के कारण खारिज किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

तहसीलदार टोंक द्वारा पूर्व मे दिनांक 22.06.2022 को निर्णय किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेण्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई, जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.03.2024 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि निर्णय से पहले पुनः मौका रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे का उल्लेख करते हुई उक्त निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय की पालना मे तहसीलदार टोंक द्वारा पुनः पत्रावली दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 मे रेस्पो. का कब्जा साबित होना नही मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर– 105/3 रकबा 2.0234 हेक्टेयर वाके ग्राम घांसडी मे स्थित है। तहसीलदार टोंक द्वारा पुनः पत्रावली दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 मे रेस्पो. का कब्जा साबित होना नही मानते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है जो गलत है। वादग्रस्त भूमि का भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डीजीपीएस मशीन से सीमाज्ञान कर कुल 23 बिन्दु कायम किये गये। उक्त रिपोर्ट मे कालूराम,टीकाराम,हनुमान व पृथ्वीराज का अतिक्रमण होना सुनिश्चित है। खसरा नम्बर 105/3 मे नाला ना होकर खसरा नम्बर 101 मे है। खसरा नम्बर 105/3 मे एनीकट बना हुआ है,जिसका निर्माण अपीलांट के पिता द्वारा करवाया गया है।

अभिभाषक रेस्पो. का कथन है कि खसरा नम्बर 105/3 मे मौके पर सरकारी एनीकट, खाल तथा पानी के कूचे, बबूल, आंकडे, झाडिया आदि है। खसरा नम्बर 105/3 पर ग्राम पंचायत ने अपने खर्चे से एनिकट का निर्माण करवाया है तथा नाला पानी आवागमन के लिए बना है जो खसरा नम्बर 105/3 में से होकर निकलता है। अपीलांट जनमेज राणा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 मे खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 है. वाके ग्राम घासडी पर प्राकृतिक रूप से सर्पीलाकार रूपरूप मे खाल है तथा सरकारी एनिकट बना हुआ है। विवादित भूमि बहाव क्षेत्र मे होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है का उल्लेख करते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया गया है। वादग्रस्त भूमि का भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डीजीपीएस मशीन से सीमाज्ञान किया गया,जिसमे रेस्पो. का अतिक्रमण नही पाया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

परन्तु तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 287 दिनांक 27.02.2025 से प्रेषित मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे वादग्रस्त भूमि का भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा डीजीपीएस मशीन से सीमाज्ञान करने पर कालूराम,टीकाराम,हनुमान व पृथ्वीराज का अतिक्रमण होना सुनिश्चित होता है। वादग्रस्त भूमि पर नजरी नक्शा अनुसार एनिकट (लगभग 45 मीटर लम्बाई) जलभराव (लगभग 500 वर्गमीटर) विलायती बबूल,पानी के कूचे,आकडे आदि स्थित है होना अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है।

नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी मे खसरा नम्बर 105/3 की किस्म बारानी–2 अंकित है। अभिभाषक रेस्पो. ने यह भी निवेदन किया कि गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार नही हुआ है,उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु रेस्पो. द्वारा 14(4) का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। 14(4) के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विधिसम्वत निर्णय पारित करेगा। अपीलांट उक्त भूमि पर निर्मित एनिकट को अपने पिता द्वारा बनवाये जाना बता रहा है,परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 मे खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 है. वाके ग्राम घासडी पर प्राकृतिक रूप से सर्पीलाकार रूपरूप मे खाल है तथा सरकारी एनिकट बना हुआ है। विवादित भूमि बहाव क्षेत्र मे होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है का उल्लेख करते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया गया है। तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2024 मे रेस्पो. का कब्जा न मानकर प्रार्थना पत्र 183 (बी) को अस्वीकार किया गया है,परन्तु दिनांक 27.02.2025 से प्रेषित मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे वादग्रस्त भूमि पर कालूराम,टीकाराम,हनुमान व पृथ्वीराज का अतिक्रमण होना सुनिश्चित होता है का उल्लेख किया है।

खसरा नम्बर 105/3 मे बने हुये एनीकट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक,तहसीलदार टोंक व रेस्पो. ने सरकारी माना है,परन्तु पत्रावली पर दस्तावेजात नही है कि एनीकट का निर्माण किस सरकारी संस्था द्वारा करवाया गया है और यह भी स्पष्ट नही है कि एनीकट का निर्माण आवंटन से पूर्व हुआ है अथवा बाद मे। एनीकट बने होने से उक्त खसरा नम्बर अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होना नही माना जा सकता है। एनीकट की ऊचाई 2 मीटर से अधिक है अथवा नही इस बाबत तहसीलदार टोंक ने अपनी रिपोर्ट मे उल्लेख नही किया है। एनीकट की ऊचाई 2 मीटर से अधिक होने पर उसे नष्ट किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पो. ने यह भी निवेदन किया कि गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार नही हुआ है और खतौनी बंदोबस्त सम्वंत 2021 में भी उक्त भूमि गै.मु. खाल के रूप में दर्ज है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से प्रभावित है,परन्तु न्यायालय हाजा मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 03/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4)भू–आवंटन नियम 1970 आवंटन आदेश दिनांक 10.12.1975 बाबत खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 8 बीघा बहक गोपी पुत्र कल्याण निवासी घांसडी) उनवान कन्हैयालाल वगै.बनाम जनमेज वगै. मे संलग्न आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक का आवंटन आदेश निम्न प्रकार है:–

जिला कलेक्टर
टोंक

"भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश हुआ। सलाहकार समिति के समस्त उपस्थित सदस्यो के परामर्श के अनुसार प्रार्थी गोपी पुत्र कल्याण जाति राणा उम्र 25 निवासी घांसडी को ग्राम घांसडी मे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 105 मे 8 बीघा दस वर्षीय गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की जाती है"

उक्त आदेश मे भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज है। भूमि की किस्म आवंटन से पूर्व गै.मु.खाल भी मान ली जावे तो भी पत्रावली पर यह दस्तावेजात/आदेश की प्रति नही है कि भूमि की किस्म गै.मु.खाल से सिवायचक किस समक्ष प्राधिकारी के आदेश से की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2021 प्रस्तुत की गई है जबकि वर्ष 1947 की खतौनी बन्दोबस्त प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जिससे तत्समय भूमि की किस्म स्पष्ट हो सके। उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 मे विवादित भूमि को बहाव क्षेत्र मे होने के कारण अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित माना है। इस सबंध मे तहसीलदार टोंक से खसरा नम्बर 105/3 की विस्तृत जांच करवाये जाना हम उचित समझते है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय पारित करने से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 हैक्टर वाके ग्राम घासडी तहसील टोंक के साबिक खसरा नम्बरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, खण्डपीठ जोधपुर द्वारा पारित D.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 1536/2003 UNDER ARTICLES 226& 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA उनवानी प्रकरण Abdul Rahman Vs State of Rajasthan & ors. निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित हैं तो दस्तावेजात एवं मौके की स्वंय जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)